रिस्ट्री संन्या एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—वप्-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

н. 373] Чо. 373] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैस 11, 2005/चैत्र 21, 1927 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2005/CHAITRA 21, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

का.आ. 542(स).—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों ज प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित ऐसे अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति जनके लिए हकदार होंगे, विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

- (क) किसी भी प्रयोजन के लिए भारत में दौरे के लिए गुणक प्रवेश के लिए आजीवन बीजा प्रदान करना;
- (ख) भारत में किसी अवधि तक रुकने के लिए विदेशी प्रादेशिक रिजस्ट्रीकरण अधिकारी या विदेशी रिजस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ रिजस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त; और
- (ग) कृषि या बागान संपत्ति के अर्जन से संबंधित मामलों के सिवाय, आर्थिक, वित्तीय, शिक्षा क्षेत्र में उनको उपलब्ध सभी सुविधाओं की बाबत अनिवासी भारतीयों के साथ समानता।

[फा. सं. 26011/2/2005-आईसी. 1]

दुर्गा शंकर मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2005

S.O. \$42(15).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby specifies the following rights to which the persons registered as Overseas Citizens of India under Section 7A of the said Act shall be entitled, namely —

- (a) grant of multiple entry lifelong visa for visiting India for any purpose;
- (b) exemption from registration with Foreign Regional Registration Officer or Foreign Registration Officer for any length of stay in India; and
- (c) parity with Non-Resident Indians in respect of all facilities available to them in economic, financial and educational fields except in matters relating to the acquisition of agricultural or plantation properties.

JF. No. 26011/2/2005-IC. []

DURGA SHANKER MISHRA, Jt. Secy.